न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 66/2021 तारीख रजू 01.09.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारनाडूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. शफी खां पुत्र लतीफ खां निवासी मलारनाडूंगर तह0 मलारनाडूंगर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित
(1) राजकीय पेरोकार प्रार्थी की ओर से
(2) श्री राधेश्याम वैष्णव एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28/7/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी शफी खां पुत्र लतीफ खां निवासी मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 3500/1598, 1607, 3501/1607 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 1598,1607,1613 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर भू.अ. निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने अन्य व्यक्ति का कब्जा होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 1598 नवीन ख0नं0 3500/1598, ख0नं0 1607 नवीन ख0नं0 3501/1607 एवं ख0नं0 1613 नवीन ख0नं0 3503/1613 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर भू.अ.निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके प्रर कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्ति का कब्जा है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 1598 रकबा 11 बिस्वा किस्म नहरी 2, ख0नं0 1607 रकबा 3 बिस्वा किस्म बंजड प्रथम एवं ख0नं0 1613 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी 3 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाले ग्राम मलारनाडूंगर में आदेश दिनांक 05/06/1973 को आवंटन किया गया था। उनका पक्षकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के अनुसार उक्त ख0नम्बरान पर काश्तकार के रूप में काबिज है। पटवारी हल्का मलारनाडूंगर द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में एवं पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में मेरे पक्षकार की भूमि का ख0नं0 भिन्न–भिन्न दर्ज किया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मेरे पक्षकार की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना अंकित किया है किन्तु अन्य व्यक्ति का नाम पेश नहीं किया है क्योंकि उक्त ख0 नम्बरान पर मेरे पक्षकार ही काबिज है। प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट में बिना आंवटन आदेश की दिनांक के बिना डिस्पेच किये पेश किया है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी शफी खां पुत्र लतीफ खां निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नं0 3500/1598, 1607, 3501/1607 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में आवंटन किया जाना अंकित है जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न भू.अ.निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के अनुसार अप्रार्थी को खसरा नं0 1598, 1607, 1613 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा आवंटन किया जाना अंकित है। भू.अ.निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर फसल होना अंकित किया है लेकिन उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थी के अलावा किस व्यक्ति का कब्जा है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने संबंधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल – बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति में भिजवाये गये है जिसमें भू0अभि0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से प्राप्त ख0नम्बरान को सही नहीं पाया गया है। तहसील मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटन आदेश की दिनांक का कोई हवाला नहीं दिया गया है जिसको खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर